पन्ना लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-5447/1995)

26.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सज्जन राज सुराना, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।

श्री सत्यव्रत शर्मा, अधिवक्ता} वास्ते प्रतिपक्षीगण।

श्री वी.डी.गठाला, अधिवक्ता }

प्रार्थीगण ने इस रिट याचिका में नगर परिषद, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.1994 (प्रदर्श-5) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण को यह सूचित किया गया था कि गृह कर के पुन: निर्धारण के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव नहीं है और जो बिल गृह कर का रूपये 22092/- का जारी किया गया था, उसका भुगतान किया जावे अन्यथा प्रार्थीगण के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना गया तथा रिट याचिका में वर्णित तथ्यों व प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका के उत्तर का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण का गौदाम वर्ष 1977-78 में ग्राम पंचायत, सेंदरिया पंचायत समिति, जावजा में स्थित था। वर्ष 1979 में जारी परिपत्र से ग्राम पंचायत,संदरिया क्षैत्र नगर परिषद, ब्यावर के अन्तर्गत आ गया । प्रार्थीगण ने अपने उक्त

गौदाम को फूड कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया को किराये पर दे दिया था इसके उपरान्त नगर परिषद, ब्यावर ने विवादित परिसर का वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 का पॉच वर्षों के गृह कर का निर्धारण किया। चूंकि वार्षिक आधार पर परिसर के गृह कर का निर्धारण नहीं किया गया था इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त आदेश के विरूद्व जिलाधीश, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील की विचाराधीनता के दौरान प्रार्थीगण द्वारा दिनांक- 2.11.1984 को 4800/-रूपये व दिनांक- 31.3.1986 को रूपये 3054/-एवं 87 पैसे जमा करा दिए जिनकी रसीदें भी प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की गई हैं। जिलाधीश, अजमेर ने आदेश दिनांक- 27.6.1986 द्वारा प्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ नगर परिषद, ब्यावर को प्रति-प्रेषित कर दिया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम,1959 की

धारा-116 , 117 एवं 119 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना कर तथा प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पुन: कर निर्धारण सम्बन्धी आदेश पारित करें। नगर परिषद, ब्यावर ने आक्षेपित आदेश दिनांक- 30.6.1994 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक- 20.8.1993 को सुनवाई की गई और प्रेषित बिल 22092/- रूपये का कर निर्धारण कर दिया।

प्रतिपक्षीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि परिसर के उक्त गृह कर का निर्धारण प्रार्थीगण द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की सहमति से किया गया है, इसलिए अब पुन: इस प्रकरण पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट नहीं होता कि दिनांक-

20.8.1993 को क्या सुनवाई की गई थी तथा उक्त सुनवाई के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किए गये थे, वे क्या आदेश पारित किए गया थे ?उक्त आदेश को प्रतिपक्षीगण ने अभिलेख पर भी प्रस्तुत नहीं किया है। निश्चित तौर पर जिलाधीश, अजमेर द्वारा जो निर्देश आदेश दिनांक 27.6.1984 में दिए गये थे उनके आधार पर नगर परिषद, ब्यावर द्वारा आदेश पारित किया जाना था। चूंकि उपरोक्त आदेश दिनांक- 20.8.1993 की प्रतिलिपि प्रतिपक्षीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि जो सुनवाई 20.8.1993 को की गई थी उसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,1959 की धारा-116,117 एवं 119 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना की गई थी अथवा नहीं?जिलाधीश, अजमेर द्वारा दिए गये निर्देशों की पालना में नगर परिषद, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 20.8.1993 अभिलेख पर नहीं होने से प्रतिपक्षीगण के विरूद्व प्रतिकूल अवधारणा लेने के पर्याप्त आधार है, ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थीगण ने प्रकरण पर पुन: विचार करने की प्रार्थना की थी। मेरा निश्चित मत है कि प्रतिपक्षी नगर परिषद, ब्यावर का यह कर्तव्य था कि या तो वह प्रार्थीगण को जिलाधीश, ब्यावर द्वारा दिए गये निर्देशों के आधार पर पारित आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराती या प्रार्थीगण के प्रकरण पर पुन: विचार करती। दोनों ही प्रक्रिया नगर परिषद, ब्यावर द्वारा नहीं अपनाई गई है। नगर परिषद, ब्यावर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक-30.6.1994 (प्रदर्श-5) स्वैच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है, जो भारतीय संविधानके अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है।

परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। नगर परिषद, ब्यावर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक- 30.6.1994 (प्रदर्श-5) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ नगर परिषद, ब्यावर को प्रति-प्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थीगण को पर्याप्त सुनवाई

का अवसर देते हुए, राजस्थान

नगरपालिका अधिनियम,1959 की धारा-116, 117 व 119 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करे। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे नगर परिषद, ब्यावर के समक्ष 20.11.2006 को उपस्थित होगें। नगर परिषद, ब्यावर से अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र प्रकरण का निस्तारण करेगी । पक्षकार रिट याचिका का व्यय स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)